

## अनिवार्य पात्रता एवं आरक्षण की विवरणी

Annexure-A

### पात्रता :-

- A.** परीक्षा /अंतर्वीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा/अंतर्वीक्षा के लिए प्रवेश पत्र (Call Letter) निर्गत होना प्रमाणित नहीं करता है कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं **क्योंकि समिति (नेतरहाट विद्यालय समिति)** परीक्षा के बाद किसी भी समय अभ्यर्थियों की पात्रता से संबंधित प्रमाण पत्रों की जाँच कर सकता है। निर्धारित जाँच कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने अथवा आवेदन में भरे गये पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने अथवा निर्धारित अवधि अंतर्गत नहीं होने पर आरक्षण/अन्य लाभ अनुमान्य नहीं होगा एवं अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।

### आरक्षण :-

1. आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का दावा करने पर यह माना जाएगा कि आवेदन भरने की अंतिम तिथि को अभ्यर्थी द्वारा दावा किये गए आरक्षण कोटि का सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र धारित किया जाता है।

**2. (1) आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र -**

(क) आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-4650, दिनांक-02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से दिनांक-02.06.20216 तथा इसके पश्चात् निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-II पर धारित है।

#### **अथवा**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-5752, दिनांक-19.07.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक-19.07.2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-III पर धारित है।

(ख) 19.07.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(ग) दिनांक-02.06.2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(घ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(इ) आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(च) पिता/पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र मान्य होंगे। पति के आधार पर निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों में अभ्यर्थी का नाम भिन्न होने पर प्रमाण पत्रों की जाँच के दौरान इस सम्बन्ध में शपथ पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

## 2 (2) जाति प्रमाण-पत्र

(क) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में जिला/अनुमंडल के उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण-पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-1 पर धारित है।

### अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-1754, दिनांक-25.02.2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में दिनांक-25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-IV पर धारित है।

(ख) झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची- II) के संदर्भ में दिनांक-29.08.2012 को अथवा इसके पश्चात उपायुक्त अथवा अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से निर्गत गैर क्रिमी लेयर जाति प्रमाण-पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-V पर धारित है। किन्तु जाति प्रमाण-पत्र की वैधता समाप्त होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों का कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-1754, दिनांक-25.02.2019 के अधीन प्रपत्र 15 में गैर क्रिमी लेयर स्वघोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-VI पर धारित है।

### अथवा

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-1754, दिनांक-25.02.2019 के आलोक में दिनांक-25.02.2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र परिशिष्ट-VII पर धारित है।

(ग) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्यक्षीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी "आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्र" प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे के प्रमाण स्वरूप, विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-VIII) में उपायुक्त/अनुमंडल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

यह प्रमाण पत्र आवेदन देने की अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से वैध होना चाहिए।

(घ) दिनांक-25.02.2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत अथवा परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र /आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है।

(ङ) परिशिष्ट में अंकित प्रपत्र से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र /आय एवं सम्पत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(च) आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत जाति प्रमाण-पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

(छ) अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 (अनुसूची-1), पिछड़ा वर्ग-2 (अनुसूची-2) के संबंध में केन्द्र सरकार में नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र (OBC Certificate) मान्य नहीं होगा।

(ज) शैक्षणिक कार्यों/सेना में भर्ती के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा।

(झ) पिता के आधार पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।

(ज) कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक-235, दिनांक-10.01.2019 के आलोक में झारखण्ड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं होगा।

(ट) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-1 (अनुसूची-1), पिछड़ा वर्ग-2 (अनुसूची-2) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं, उनके द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (उपर्युक्त कंडिका-2 (2) (क) (ख) एवं (ग) में उल्लेखित) से भिन्न प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र/आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र/स्व घोषणा समर्पित करने पर उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के रिक्ति तक अनुमान्यता के सापेक्ष सीमित कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति में उक्त कोटि के अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन ही होगी। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित कोटि के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क समिति के निदेश पर अनिवार्यतः जमा करना होगा।

### परिशिष्ट-III

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-5752, दिनांक-19.07.2019 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र

(अंचलाधिकारी द्वारा दिनांक-19.07.2019 अथवा इसके बाद के तिथि में निर्गत झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

झारखण्ड सरकार

(कार्यालय का नाम)

#### झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....पिता/पति श्री .....  
.....पता-ग्राम/वार्ड/शहर .....पो० .....  
थाना .....जिला .....के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-3198, दिनांक-  
18.04.2016 की कंडिका ..... में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण  
पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं  
होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान : .....

दिनांक .....

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले  
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

परिशिष्ट-II

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-14/स्थानीयता, नीति-14-03/2016 का.-4650 दिनांक-02.06.2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

.....

(कार्यालय का नाम)

झारखण्ड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....पिता/पति श्री .....  
.....पता-ग्राम/वार्ड/शहर .....पो० .....  
थाना .....जिला .....के स्थानीय निवासी हैं और यह प्रमाण पत्र  
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-3198, दिनांक-  
18.04.2016 की कंडिका ..... में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में निर्गत किया गया है। प्रमाण  
पत्र धारक की ओर से झारखण्ड के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश के स्थानीय निवासी नहीं  
होने का प्रतिज्ञान की प्रतिबद्धता की गई है।

स्थान : .....

दिनांक .....

कार्यालय का मुहर

प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले  
पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम

## परिशिष्ट-1

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-7/जा.नि.-19-11/2008 का.  
-5682, दिनांक-22 अक्टूबर, 2008 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार

.....  
(कार्यालय का नाम)  
जाति प्रमाण पत्र  
(सभी कार्यों के लिये)

संख्या :-

तिथि :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री .....  
.....निवासी, ग्राम/कस्बा/मोहल्ला .....डाकघर .....  
.....थाना .....जिला .....राज्य .....अनुसूचित  
जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अंतर्गत .....जाति/उप जाति के सदस्य हैं, जो झारखण्ड  
राज्य के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

2. श्री /श्रीमती/कुमारी .....एवं/अथवा उनका/उनकी परिवार साधारणतः गांव/कस्बा .....  
.....शहर ....., जिला ..... राज्य .....में निवास करते हैं।

स्थान : .....

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम .....

दिनांक .....

पदनाम .....

(कार्यालय का मुहर)

(नोट :- जो लागू नहीं हो, उसे काट किया जाय।)

- \* बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा-23 एवं 24 के अंतर्गत 5वीं तथा 6 वीं अनुसूची में अंकित क्रमशः संविधान (अनुसूचित जाति) संशोधन आदेश 1950 एवं संविधान (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950
- \* अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002

-----

## परिशिष्ट-VII

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-14/जा.नि.-03-13/2015 का.-1754, दिनांक-25.02.20219 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन हेतु आवेदन करने के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र का प्रपत्र

(कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....पिता श्री .....  
...../पति श्री .....(विवाहित महिला के मामले में) ग्राम/नगर .....  
.....जिला/प्रमंडल .....राज्य/संघशासित प्रदेश .....जाति के सदरू  
हैं, जो झारखण्ड रिक्तियों और पदों के आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 के अधीन पिछड़े वर्ग (अनुसूची-I और II) के रूप में मान्यता प्राप्त हैं तथा ये ..... धर्म को माननेवाले हैं।

2. ....तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखण्ड राज्य के  
ग्राम/नगर.....जिला/प्रमंडल .....में निवास करता है/करते  
हैं।

3. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय  
ज्ञापांक-36012/22/93-स्था. (एस.ई.टी.) दिनांक-08.09.1993 की अनुसूची के स्तंभ-3 में उल्लिखित  
तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3482, दिनांक-10.06.2002  
द्वारा यथा अंगीकृत के अधीन क्रीमीलेयर व्यक्ति/वर्ग के सदस्य नहीं हैं।

4. यह प्रमाण पत्र कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्था. (एस.ई.टी.) दिनांक-08.09.1993 के  
अपवर्जनों के नियमानुसार प्रमाणित आवेदन तथा उसकी/उसके माता-पिता द्वारा किये गये घोषणा के आधार  
पर जारी किया जाता है तथा यह निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध होगा। किन्तु क्रीमीलेयर  
में नहीं होने संबंधी अद्यतन स्वघोषणा पत्र (फार्म संख्या-15) संलग्न करने पर इस प्रमाण पत्र की वैधता  
स्वघोषणा पत्र समर्पित करने के वितीय वर्ष के लिए मान्य होगी।

स्थान : .....

हस्ताक्षर .....

पदनाम .....

दिनांक .....

कार्यालय के सील सहित

## परिशिष्ट-VI

### क्रीमीलेयर रहित होने संबंधी स्व-घोषणा पत्र

(यह आवेदक/आवेदिका द्वारा पूर्व निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ समर्पित किया जायेगा)

मैं .....पिता .....  
पति/पत्नी ..... निवासी, ग्राम/कस्बा/शहर .....  
पोस्ट .....थाना ..... अंचल .....जिला .....  
राज्य .....एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं .....  
..... समुदाय का/की हूँ जो कि कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं  
प्रशिक्षण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के दिनांक-08.09.1993 के कार्यालय ज्ञापन  
संख्या-36012/22/93 स्था. (एस.ई.टी.)/झारखण्ड राज्य के संकल्प संख्या .....दिनांक .....  
.में निहित आदेश के अनुसार नियोजन/नामांकन में आरक्षण के प्रयोजन से भारत सरकार/झारखण्ड सरकार  
द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग/ अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2) के रूप में मान्य है।

2. यह कि मुझे झारखण्ड राज्य के जिला ..... अंचल .....  
के द्वारा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र संख्या .....दिनांक .....निर्गत है।

3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ/ करती हूँ कि विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान मैं आठ (8) लाख  
रुपये से कम वार्षिक आय होने के कारण क्रीमीलेयर में नहीं आता/आती हूँ।

4. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं दिनांक-08.09.1993 एवं 13.09.2017 के उपर्युक्त  
संदर्भित कार्यालय ज्ञापन की अनुसूची के कॉलम-3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्ग) से संबंधित  
नहीं हूँ।

5. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि भविष्य में मेरी उपर्युक्त स्व-घोषणा गलत पाई जाती है  
तो इसके आलोक में प्राप्त आरक्षण एवं अन्य आनुषंगिक सुविधाओं को रद्द करते हुए धारा 193 भा.द.वि.  
एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

आवेदक/आवेदिका (घोषणाकर्ता) का हस्ताक्षर

## परिशिष्ट-V

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-7/जाति-19-11/2008 का. -10007, दिनांक-29 अक्टूबर, 2012 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला जाति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....पुत्र/पुत्री .....  
.....ग्राम/शहर .....थाना .....जिला .....  
..... झारखण्ड के रहने वाले/की रहने वाली हैं, जो झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम-2001\*,\*\* की धारा -2 के अंतर्गत अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-2) के अधीन अत्यंत पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त .....समुदाय से आते / आती हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3482, दिनांक-10.06.2002 द्वारा अंगीकृत कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-36012/22/93-स्था0 (एस.सी.टी.) दिनांक-08.09.1993 की अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित व्यक्ति/ वर्ग (क्रीमीलेयर) में शामिल नहीं हैं।

स्थान : .....

सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नाम .....

दिनांक .....

पदनाम .....

(कार्यालय का मुहर)

(नोट :- जो लागू नहीं हो, उसे काट किया जाय।)

1. \* झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में अंकित जातियाँ/उप जातियाँ।
2. \* झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की धारा -2 में सन्निहित अत्यंत पिछड़ा वर्ग/ पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची, जो संकल्प संख्या-3885, दिनांक-05.11.2001, 801, दिनांक-11.02.2003, 3436, दिनांक-28.06.2004, 6337 दिनांक-08.12.2004, 6374 दिनांक-11.12.2004, 368 दिनांक-19.01.2006, 2579 दिनांक-01.06.2006, 3706 दिनांक-15.07.2006, 4447 दिनांक-24.08.2006, 5182 दिनांक-26.09.2006, 1604 दिनांक-28.03.2007, 243 दिनांक-11.01.2008, 5108 दिनांक-23.09.2008, 4450 दिनांक-01.08.2001, 5826 दिनांक-19.09.2011, 697 दिनांक-26.09.2011, 6580 दिनांक-20.10.2011, 8060 दिनांक-17.12.2011 एवं 144 दिनांक-06.01.2012, 2855 दिनांक-27.03.20212 एवं समय-समय पर यथा संशोधित।

पदनाम .....

कार्यालय के सील सहित

## परिशिष्ट-IV

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-14/जा.नि.-03-13/2015  
का.-1754, दिनांक-25.02.20219 द्वारा निर्धारित प्रपत्र

झारखण्ड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति/ दाखिला हेतु आवेदन करने के लिए अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रपत्र

### (कार्यालय का नाम)

प्रमाण पत्र सं० :-

दिनांक :-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .....पिता श्री .....  
...../पति श्री .....(विवाहित महिला के मामले में) पता-ग्राम/वार्ड/शहर .....  
.....पो०.....थाना.....जिला/प्रमंडल .....  
.....राज्य/संघशासित प्रदेश ..... झारखण्ड राज्य में यथा अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित  
जनजाति के अधीन .....जाति के सदस्य हैं तथा ये ..... धर्म को  
माननेवाले हैं।

2. ....तथा/अथवा उनका परिवार साधारणतया झारखण्ड राज्य के  
ग्राम/नगर.....जिला/प्रमंडल .....में निवास करता है/करते  
हैं।

3. यह प्रमाण पत्र अगले आदेश तक या झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति  
की सूची में कोई परिवर्तन होने तक वैध होगा।

### टिप्पणी

क) यहाँ प्रयुक्त पद 'साधारणतया निवासी' का वही अर्थ होगा, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की  
धारा-20 में है एवं अंकित स्थान आवेदक के स्व-घोषणा पर आधारित है।

ख) जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारों की सूची निम्नवत् निर्दिष्ट है:-

i) जिला दण्डाधिकारी / अपर दण्डाधिकारी / उपायुक्त / अपर उपायुक्त / अपर समाहर्ता /  
प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी / अनुमंडल दण्डाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी / सहायक समाहर्ता  
एवं सहायक दण्डाधिकारी

ii) अंचल अधिकारी

ग) बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 23 और 24 के अधीन क्रमशः पाँचवी और छठी  
अनुसूची द्वारा यथासंशोधित संशोधन आदेश 1950 (अनुसूचित जातियों के लिए) तथा संशोधन आदेश  
1950 (अनुसूचित जनजातियों के लिए) तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश  
(संशोधन) अधिनियम 2002 द्वारा गठित झारखण्ड में रिक्तियों और पदों (अनुसूचित जातियों,  
अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए) के लिए आरक्षण अधिनियम-2001 ।

स्थान : .....

हस्ताक्षर .....

परिशिष्ट-VIII

**Government of Jharkhand**

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

**INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS**

Certificate No. ....

Date .....

Valid for the Year .....

This is certify that Shri/Smt./Kumari .....son/daughter/wife of .....permanent resident of .....village/street ..... Post office .....District ..... in the state/Union Territory Economically Weaker Section, since the gross annual income\* of his/her family\*\* is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year .....His/Her family does not own or possess any of the following assets\*\*\*.

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. ft. yards and above in notified municipalities ;
- IV. Residential plot of 200 sq. ft. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari ..... belongs to the ..... caste which in not recognized as a Scheduled Castes, Scheduled Tribe and OBC/EBC-I/BC-II.

Recent Passport  
size attested  
Photograph of  
the applicant

Signature with seal of office .....

Name .....

Designation .....

\* Note : 1. Income covered all sources i.e. salary, business, profession, etc.

\*\*Note : 2. The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years .

\*\*\*Note: 3. The property held by a "family" in different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding tests to determine EWS status.